झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/820/2013 – .... राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :– साहेबगंज जिलान्तर्गत गुमानी नदी से हो रहे कटाव स्थल रहमतपुर ग्राम में कटाव निरोधक कार्य एवं पुनर्स्थापन हेतु ₹ 128.810 लाख (एक करोड़ अट्ठाईस लाख ईक्कासी हजार मात्र) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. साहेबगंज जिलान्तर्गत गुमानी नदी से हो रहे कटाव स्थल रहमतपुर ग्राम में कटाव निरोधक कार्य एवं पुनर्स्थापन हेतु ₹ 128.810 लाख (एक करोड़ अट्ठाईस लाख ईक्कासी हजार मात्र) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. गुमानी नदी से हो रहे बांये तटबंध के कटाव स्थल पर स्थल के अनुरूप Bed bar/Slope pitching/Revetment कार्य कराया जाएगा।

4. प्रस्तावित कार्य वर्ष 2015 के वर्षात के पूर्व तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

5. यदि बाढ़ अवधि 2014 के बाद उक्त स्थल के प्रकृति में कोई परिवर्त्तन होता है तो, कार्य कराने से पूर्व राज्य तकनीकी सलाहकार समिति का मंतव्य प्राप्त कर प्रदत प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत कार्य कराया जाएगा।

6. इस कार्य पर होनेवाला व्यय:–

   i. मुख्य शीर्ष –4711– बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष –01– बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–58–नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 44 लघु निर्माण कार्य एवं

   ii. मुख्य शीर्ष –4711– बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष –01– बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–58–नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 44 लघु निर्माण कार्य के अंतर्गत भारित होगा।

7. यह कार्य सिंचाई प्रमण्डल बड़हरवा द्वारा कराया जायेगा तथा कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल बड़हरवा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

8. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

9. इस कार्य के लिए वर्ष 2014–15 के बजट में एकमुश्त उपबंध है।

10. प्रस्ताव पर माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

12. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/820/2013– .... राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड राँची एवं योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/820/2013– .... राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/820/2013– 57/14-15-5-4 **राँची, दिनांक** 21/X/14

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, साहेबगंज/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल बड़हरवा/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10/14

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)